न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **210/2025** दायर दिनाँक **11.06.2025**

वादीया		**प्रतिवादीगण**
1. मीनू कंवर पत्नी चन्द्रपालसिंह जाति राजपुत निवासी सेवा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज.	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना 2. चन्द्रपालसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. गजराजसिंह पुत्र लादूसिंह 4. दौलतकंवर पत्नी लादूसिंह पिता लादूसिंह 5. निकिता राठौड पुत्री लादूसिंह 6. नितू राठौड पुत्री लादूसिंह 7. प्रिंसी राठौड पुत्री लादूसिंह 8. बजरंगसिंह पुत्र जगमालसिंह 9. विरेन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सेवा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज.

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act. 136 L.R.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीर प्रजापत वकील वादीया।
2. श्री जयवीरसिंह वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 9।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **07.10.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादीया की खरीदशुदा, कब्जेशुदा व खातेदारी सुदा खेत खसरा संख्या 494/212 रकबा 0.2300 है. वाके सरहद सेवा पटवार हल्का सुपका भू.अ.नि.दयालपुरा तहसील डीडवाना में अवस्थित है। वादीया ने उक्त खेत खसरा संख्या 494/212 रकबा 0.2300 है. भूमि को प्रतिवादीण संख्या 3 ता 7 के पिता लादुसिंह व प्रतिवादी संख्या 8 की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 212 रकबा 3.3400 है. भूमि में से अलग–अलग स्थान पर दो जगह की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के खरीद की गई, तब से वादिया खेत खसरा नम्बर 212 की भूमि में अपने अलग–अलग स्थान पर काबिज काश्त चली आ रही है। लेकिन राजस्व नक्शा में वादिया की खसरा नम्बर 212 में से दो अलग–अलग जगह पर खरीदशुदा भूमि को एक ही जगह दर्शाते हुए खसरा नम्बर 494/212 रकबा 0.2300 है. राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है। जबकि मौके पर खसरा नम्बर 494/212 रकबा 0.2300 है. की भूमि अनुसुचि–अ जो नजरी नक्शा में दर्शित पश्चिम दिशा में कृषि भूमि मार्क ए बी सी डी व दक्षिणी दिशा में कृषि भूमि मार्क इ एफ जी एच अनुसार अवस्थित है। इसलिये वर्तमान ट्रेस नक्शा में दर्ज खसरा नम्बर 494/212 को नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार अलग–अलग जगह खसरा की खातेदारी वादीया के नाम दर्ज की जावें एवं वर्तमान नक्शा में वादीया के दर्शित खसरा नम्बर 494/212 को दुरूस्त करते हुये दो अलग–अलग नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें, जिसमें नजरी नक्शा अनुसचि–अ में पश्चिम दिशा में कृषि भूमि मार्क ए बी सी डी व दक्षिणी दिशा में कृषि भूमि मार्क इ एफ जी एच नक्शा राजस्व में दुरूस्त कर के खातेदारी में दर्ज किया जावें, उक्तानुसार वादीया की भूमि एक ही जगह दर्शित करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

कारण वादी को अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पडेगा। यदि वादी के खेत खसरा नम्बर 494/212 रकबा 0.2300 है. की भूमि वर्तमान राजस्व नक्शा में दर्शित अनुसार एक जगह राजस्व रेकर्ड में घोषित रह जाती है तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से सम्भव नहीं होगी, इसलिए वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है कि :– शरहद सेवा वर्तमान ट्रेस नक्शा में खसरा नम्बर 212 में से वादिया द्वारा दो अलग अलग जगह पर खरीदशुदा भूमि जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में 494/212 रकबा 0.2300 है. सहवन से एक ही स्थान दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में दर्शित कर दिया है। जिसको मौके पर अनुसुचि– अ जो नजरी नक्शा में दर्शित पश्चिम दिशा में कृषि भूमि मार्क ए बी सी डी व दक्षिणी दिशा में कृषि भूमि मार्क इ एफ जी एच भूमि नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार वादी को अलग–अलग खसरा नम्बर दर्ज करते हुये खातेदारी घोषित की जावें। वर्तमान ट्रेस नक्शा में खसरा नम्बर 212 में से वादिया द्वारा दो अलग अलग जगह पर खरीद शुदा भूमि जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में 494/212 रकबा 0.2300 है0 सहवन से एक ही स्थान पर दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में दर्शित कर दिया है। जिसको मौके पर अनुसुचि–अ जो नजरी नक्शा में दर्शित पश्चिम दिशा में कृषि भूमि मार्क ए बी सी डी व दक्षिणी दिशा में कृषि भूमि मार्क इ एफ जी एच भूमि को संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त करावें अर्थात खसरा नम्बर 212 में से नजरी नक्शा में दर्शित अलग–अलग स्थान पर खारीद सुदा भूमि सहवन से राजस्व नक्शा में 494/212 को दो जगह दर्शित करते हुये राजस्व रेकर्ड में ट्रेस नक्शा को दुरूस्त किया जावें। वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें की वादी की खातेदारी की भूमि में न स्वयं दखल करें, न अन्य से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 9 की ओर से इकबालिया जवाब प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार द्वारा जरिये पत्रांक –रीडर/2025/395 दिनांक 30.7.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम सेवा के खसरा संख्या 494/212 की खातेदारी मीनूकंवर पत्नी चन्द्रपालसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है। वादीया के द्वारा उक्त खसरा की भूमि रकबा 0.23 है. दिनांक 24.03.2015 को जरिये विक्रय पत्र से कय की थी जिसे राजस्व रेकर्ड में अर्थात नक्शा में गलत स्थान पर तरमीम कर दी गयी है। वादीनी द्वारा कय की गई भूमि का कब्जा विकेता द्वारा दो पृथक – पृथक स्थान पर सुपुर्द किया गया था परन्तु राजस्व नक्शे में पृथक पृथक स्थान पर नहीं दर्शाकर एक ही स्थान पर दर्शाया गया है वर्तमान मौके की स्थिति का अवलोकन किया गया तो वर्तमान में वादिया का कब्जा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार है। मौका अनुसार वादिया का कब्जाशुदा रकबा खसरा संख्या 494 रकबा 0.23 है. है दर्ज खातेदारी मौके पर निम्न नजरी नक्शा अनुसार पृथक–पृथक रूप से काबिज है। लाल स्याही से दर्शाये गये भूखण्डों पर वादिया का कब्जा काश्त है।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण [illegible] डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त करते है तथा अन्य किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का [illegible] गया तथा बहस पर मनन किया गया। मौजा सरहद सेवा में स्थित खेत खसरा नम्बर 494/212 रकबा 0.23 है. भूमि में वादी अपना नक्शा दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:33 IST
Reason: Self Attested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अवलोकन में पाया गया कि वादीनी द्वारा विक्रेता पक्ष बजरंगसिंह एवं लादूसिंह द्वारा शरहद सेवा खसरा संख्या 147 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 01 बीघा 09 बिस्वा खरीद की गई है। वादीनी द्वारा खरीद की गई भूमि का अलग खसरान् में विभाजन होने के संबंध में वादीनी ने किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है एवं ना ही अपने साक्ष्य शपथ पत्र एवं वादपत्र में विभाजन के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन किया है। विधि के अनुसार कृषि भूमि में से विक्रेतागण द्वारा कृषि भूमि का आंशिक हिस्सा विक्रय किया जाता है तो राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण का संयुक्त खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाता है। वादीनी ने विक्रय पत्र अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में नक्शा दुरूस्त करवाना चाहा है। विक्रय पत्र के आधार पर बिना विभाजन राजस्व नक्शे में गलत अंकन के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादीनी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

—:आदेश :—

मौजा शरहद सेवा पटवार क्षेत्र सुपका भु.अ.निरिक्षक दयालपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 494/212 रकबा 0.2300 है. भूमि का वादीनी का खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **07.10.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested